# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

राजेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द्र जैन निवासी 293 तिलक नगर , इंदौर म.प्र.

....... आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. मेसर्स आंगन निर्माण तर्फे ललित कुमार पुत्र श्री अभय कुमार निवासी 10/1 साउथ तुकोगंज इंदौर
3. देवेन्द्र जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन , निवासी 139 सुभाष मार्ग इंदौर
4. हरीश दुबे पुत्र श्री ओ.पी. दुबे , निवासी 505 एकता विहार रतन नगर मेन रोड जबलपुर म.प्र.
5. इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पदा अधिकारी , वर्ग 2 इंदौर विकास प्राधिकरण भवन रेसीडेंसी रोड , इंदौर म.प्र.

......... अनावेदकगण

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी विजय नगर क्षेत्र इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 309/ बी– 121 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 एवं 04.10.2016 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत है।**

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक 3657-पीबीआर/2016** **जिला इंदौर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9-11-2016 | आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर,उपस्थित। अनावेदक कमांक 2 की ओर से श्री के0के0द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक के स्थगन निरस्ती के अनुरोध पर उभयपक्ष को सुना गया । अनावेदक ने यह आपत्ति भी की कि उक्त आदेश दण्ड प्रकिया संहिता के तहत दण्डाधिकारी का आदेश है जिसे सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को नहीं है । उक्त आपत्ति के प्रकाश में विचाराधीन आदेश का अवलोकन किया गया । विचाराधीन आदेश में यद्यपि दण्ड प्रकिया संहिता के किस प्रावधान के तहत यह आदेश किया गया है उसका उल्लेख नहीं किया है लेकिन आदेश पत्रिका से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी की हैसियत से पारित किया गया है । स्पष्ट है कि इस आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी समाप्त की जाती है । आवेदक सक्षम स्तर पर उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये स्वतंत्र है ।<br><br>अध्यक्ष | |